[राज्य सभा द्वारा 9 फरवरी, 2021 को पारित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 6-सी

[दि नेशनल कैपिटल टैरीटरी आफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकेंड (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिंदी अनुवाद]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह 29 दिसम्बर, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

वृहत् शीर्ष का संशोधन ।

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् शीर्ष में, "31 दिसंबर, 2020 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे । 2011 का 20

उद्देशिका का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की उद्देशिका में,—

(क) चौथे पैरा से आठवें पैरा तक के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"और वर्ष 2041 के परिदृश्य में दिल्ली मास्टर प्लान की विरचना के लिए कार्य प्रगति पर है ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 एक बारगी उपाय के रूप में अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने या अंतरण या बंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था ; 2019 का 45

और दिल्ली में अप्राधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए 24 मार्च, 2008 को अधिसूचित विनियमों का अधिक्रमण करते हुए तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिकार प्रदत्त करने, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया था ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने की प्रक्रिया तथा अप्राधिकृत कालोनियों के लिए विकास नियंत्रण संनियम को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है और इसमें समय लगेगा ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के संबंध में तय की गई नीति के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में का.आ. 97(अ), तारीख 17 जनवरी, 2011 द्वारा अधिसूचित विशेष क्षेत्र, अप्राधिकृत नियमित कालोनियों और ग्रामीण आबादियों के लिए भवन निर्माण विनियम बनाए गए हैं ; 1957 का 61

और अप्राधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण तथा विशेष क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्रवाई को पूरा करने के लिए और समय अपेक्षित है ;";

(ख) ग्यारहवें पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"और फार्म हाऊसों के संबंध में पुनरीक्षित नीति दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है और उसको अंतिम रूप से तय करने में कुछ और समय लगने की संभावना है ;";

(ग) बारहवें पैरा में "दिल्ली मास्टर प्लान-2021" शब्दों और अंकों के

स्थान पर, "मास्टर प्लान" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) तेरहवें पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और केंद्रीय सरकार द्वारा 21 जून, 2018 को गैर-अनुरूप क्षेत्रों में विद्यमान गोदाम समूहों के मानकों के संबंध में नीति अधिसूचित की गई है ;";

(ङ) 21वें पैरा में,—

(i) "दिल्ली मास्टर प्लान-2021" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "मास्टर प्लान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के आरंभिक भाग में, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2023 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1957 का 61

'(ङ) "मास्टर प्लान" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन यथा अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है ;'।

धारा 3 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "दिल्ली मास्टर प्लान 2021" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "मास्टर प्लान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) निम्नलिखित अंतिम तारीखों के अनुसार :—

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कालोनियों के लिए ;

2019 का 45

(ii) 31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी है) और उनके विस्तार तथा जहां संनिर्माण कार्य उस तारीख से परे और 1 जून, 2014 तक किया गया है,

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 और ग्रामीण आबादी क्षेत्र विनियम (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी है) और उनके विस्तारण के

2019 का 45

विनियमों के उपबंधों के अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्था ;";

(ख) उपधारा (2) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 के अधीन पहचानी गई अप्राधिकृत कालोनियों की बाबत, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी है) और उनके विस्तारण, जो 31 मार्च, 2002 को विद्यमान थे, और उपधारा (1) में यथावर्णित पूर्वोक्त प्रवर्गों में जहां संनिर्माण कार्य 1 जून, 2014 तक हुआ है ;";

(ग) उपधारा (3) में, "31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में, "31 दिसंबर, 2020 के पूर्व किसी भी समय" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 के पूर्व किसी भी समय" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

7. (1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है । 2020 का अध्यादेश सं० 15

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

MGIPMRND—1381RS(CRC)—09-02-2021.